कार्यालय महाप्रबंधक

म. प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रं.–1, बालाघाट

फोन नं.–07632 240334 ई मेल–gm_bgtpiu1@rediffmail.com

पत्र क्र. 2846 / तक / मप्रग्रासप्रा / 2023 बालाघाट दिनांक 24 / 12 / 2023

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा.) वनमंडल
जिला बालाघाट (म.प्र.)

विषय :– बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWEA) के अन्तर्गत कान्द्रीकला से कट्टीपार तक मार्ग पहुँच निर्माण हेतु 7.47 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क प्राधिकरण बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (आनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Road/155493/2022)

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल का प.क्रं. एफ–5 / 1253 / 2023 / 10–11 / 5361 भोपाल दिनांक 21.12.23

.............00.................

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों के तहत 05 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। उक्त संबंध में संबंधित वांछित जानकारियों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The concerned DFO shall submit status of road as per approved Working Plan.	प्रस्तावित मार्ग, वनमार्ग के रुप में उल्लेखित है। उक्त प्रस्तावित मार्ग सर्वे ऑफ इंण्डिया की टोपो शीट में भी दर्शित है, एवं स्थल पर भी विद्यमान है। इस मार्ग से ग्रामीणों द्वारा आवागमन किया जाता है।
2	The total area of various proposals is more than 40.00 ha. in the same division and with same User Agency. the SIR of CF/CCF for the same shall be submitted.	वनमंडल से संबधित है।
3	The DFO/User Agency shall submit separate proposal wise CA schemes and KML files with proper demarcation.	कलेक्टर जिला बालाघाट के आदेश क्रमांक / रा.प्र.क्र. / 0032 / अ–59 वर्ष 22–23 में पारित आदेश दिनांक 05.12.2022 द्वारा वन विभाग को क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि (छोटे झाड का जंगल व घांस) ग्राम– टेकाडी, प.ह.न. 42, तह. कंटगी, जिला बालाघाट के खसरा नं. 356 में रकबा 7.47 हे0 (01 प्रस्ताव के लिए समेकित 1. FP/MP/Road/155493/2022 रकबा 7.47 हे0 भूमि की क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) योजना बनाई गयी है। जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा प्रदान की गई है। उपर्युक्त प्रस्ताव अन्तर्गत क्षतिपूरक वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्राप्त गैर वनभूमि की के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव में संलग्न है।
4	The CA site needs to be changed. DFO should ensure that the proposed CA area is free from any encroachment and also submit a detailed plan with their estimates for protection of CA areas.	प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र को बदलने की आवश्यकता नही है। उक्त प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) क्षेत्र अतिक्रमण से मुक्त है। और वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान योजना, प्राक्कलन में किया गया है।
5	The proposed road is falling in Tadoba-Indrawati Tiger Corridor. comments of CWLW shall be submitted.	प्रस्तावित सड़क, टाडोबा–इंद्रावती टाईगर कॉरिडोर, के अन्तर्गत नही आती है। तथा उक्त कॉरिडोर बालाघाट जिले अन्तर्गत क्षेत्र से नही गुजरता है। अर्थात CWLW के अनुमोदन की आवश्यकता नही है।

महाप्रबंधक
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट

REDMI NOTE 5 PRO

पृ. क्र. 2847 / तक / मप्रग्रासविप्रा / 2023 बालाघाट, दिनांक 24/ 12/ 2023

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक महोदय (भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ।
2. मुख्य वन संरक्षक महोदय बालाघाट, वनवृत्त बालाघाट की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सादर सूचनार्थ ।

महाप्रबंधक

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्र. 1, बालाघाट